<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर</u> <u>आदेश</u>

- 1. एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-2977/2014 मोहन लाल बटवाडा बनाम राजस्थान राज्य
- 2. एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-2232/2014 डॉ. बलवन्त सिंह बनाम राजस्थान राज्य

आदेश दिनांक:

23 मार्च, 2015

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल

श्री पंकज गुप्ता अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी श्री मोहन लाल की ओर से श्री एन ए नकवी, वरिष्ठ अधिवक्ता मय श्री नवाब अली राठौड़, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी डॉ. बलवंत सिंह की ओर से श्री अनुराग शर्मा , अतिरिक्त महाधिवक्ता मय श्री धुव राठौड़ , अधिवक्ता वास्ते राज्य

<u>न्यायालय द्वारा</u> :

प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त ने उक्त पृथक- पृथक दाण्डिक विविध याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन मुख्य आरक्षी केन्द्र- भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, जयपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-13(1) (d) सपिठत धारा-13(2) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 व 120-बी के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना संख्या-253/2010 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है।

चूंकि उक्त याचिकाएँ एक ही प्रथम सूचना के सम्बन्ध में तथा समान अनुतोष के साथ प्रस्तुत की गयी है, अधिवक्ता पक्षकारान् की सहमति से उनकी सुनवाई एक साथ की गयी तथा इनका निस्तारण इस संयुक्त आदेश के माध्यम से किया जा रहा है। आदेश की प्रतिलिपि प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उक्त याचिकाओं के निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस तरह से हैं कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर को विश्वस्त सूत्रों से गोपनीय सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि वर्ष 2008 में नरेगा के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, अलवर द्वारा जिला परिषद , अलवर के आदेशों की अनुपालना में क्रय किये गये मेडिकल किट में भारी अनियमितता बरती गयी है तथा भ्रष्टाचार करके राज्य सरकार को लगभग 6-7 लाख रूपये की हानि पहुंचायी गयी है। उक्त सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सूचना से सम्बन्धित अभिलेख का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, अलवर के कार्यालय में अवलोकन कर सम्बन्धित अभिलेख की प्रमाणित फोटों प्रतियां प्राप्त की तो पाया कि प्रार्थी-अभियुक्त डॉ. बलवन्त सिंह तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी व क्रय समिति के सदस्यगण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलवर , वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला परिषद , अलवर एवं प्रार्थी अभियुक्त श्री मोहन तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी कार्यालय- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, अलवर के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश क्रमांक 242 दिनांक 25.3.2008 द्वारा मैसर्स जयन्ति मेडिकल हॉल, अलवर से 5,83,180/- रूपये की दवाइयां, आदेश क्रमांक 243 दिनांक 25.3.2008 द्वारा मैसर्स बी के डिस्ट्रीब्यूटर्स , अलवर से 4,29,300/-रूपये की दवाइयां तथा आदेश क्रमांक 244 दिनांक 25.03.2008 से मैसर्स एस एस एन्टरप्राइजेज, अलवर से 44,500/- रूपये के प्लास्टिक बॉक्स व आदेश क्रमांक 245 दिनांक 25.3.2008 के द्वारा 1,94,820/- रूपये के प्लास्टिक बॉक्स एवं एक अन्य आदेश क्रमांक 153 दिनांक 25.3.2008 से 1,03,800/- रूपये की कैची क्रय की गयी।

प्रारम्भिंक जांच से यह भी पाया गया कि उक्त प्रकार से क्रय की गयी दवाइयों की दर का सहकारी उपभोक्ता भण्डार की रेट लिस्ट व राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, अलवर को उपलब्ध करायी गयी रेट लिस्ट दिनांक 14.11.2006 से मिलान किया गया तथा मैसर्स एस एस एन्टरप्राइजेज, अलवर से क्रय किये प्लास्टिक के बॉक्स व कैंची के सैम्पल को बाजार में ले जाकर वैसी ही किस्म की कैंची व एक-एक बॉक्स की जानकारी की गयी तो मैसर्स जयन्ति मेडिकल हॉल, अलवर से क्रय की गयी 5,79,780/- रूपये की दवाइयों में लगभग 2,08,960/- रूपये, बी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलवर से क्रय की गयी 4,29,300/- रूपये की दवाइयों में लगभग 1,78,320/-रूपये की क्षति कारित की गयी। मैसर्स एस एस एन्टरप्राइजेज, अलवर से क्रय किये गये प्लॉस्टिक बॉक्स व कैंची कुल खरीद

राशि 3,43,120/- रूपये में करीब 1,82,120/- रूपये की हानि कारित की गयी।

प्रारम्भिक जांच में पाया गया कि उक्त अधिकारीगण द्वारा निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु उक्त तीनों फर्मों के साथ साजिश कर तथा लेखा नियमों को नजर अंदाज कर ऊंची दरों पर दवाइयां एवं अन्य सामग्री क्रय कर राज्य सरकार को 5,69,400/- रूपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।

प्रारम्भिक जांच में यह भी पाया गया कि उक्त दवाइयां क्रय करते समय क्रय समिति द्वारा सामान्य लेखा एवं वितीय नियमों की अवहेलना भी की गयी। जिन जिन नियमों की अवहेलना किया जाना पाया गया उनका उल्लेख प्रारम्भिक जांच में किया गया।

प्रारम्भिक जांच के दौरान वर्तमान अभियुक्त-प्रार्थीगण तथा क्रय समिति में शामिल डॉ. प्रदीप गुप्ता, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलवर तथा श्री महेश चन्द गर्ग तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला परिषद , अलवर को अपना अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्य तथा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण के अवलोकन उपरान्त क्रय समिति के सदस्य डॉ. प्रदीप गुप्ता तथा श्री महेश चन्द गर्ग का प्रत्यक्ष रूप से उक्त कृत्य में संलिप्त होना नहीं पाया गया।

प्रारम्भिंक जांच के आधार पर वर्तमान प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रथम सूचना पंजीबद्ध कर मामले में अग्रिम अनुसंधान किया गया तथा अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य के आधार पर उक्त अपराधों के सम्बन्ध में आरोप पत्र तैयार किया गया तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक अभियोजन स्वीकृति भी प्राप्त की गयी।

उक्त परिस्थितियों में प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त ने उक्त प्रकार से पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना तथा उसके आधार पर किये गये अनुसंधान को निरस्त/ अपास्त किये जाने की प्रार्थना के साथ उक्त पृथक पृथक याचिका प्रस्तुत की है। याचिकाओं के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये :-

- 1.यघिप प्रार्थीगण क्रय सिमिति के सदस्य थे किन्तु टेण्डर जारी किये जाने के उपरान्त दवाइयां एवं अन्य सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की किसी तरह की कोई भूमिका शेष नहीं रही , ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को अनियमित रूप से तथा तथाकथित रूप से उंची दर पर दवाइयां एवं अन्य सामग्री क्रय करने के लिए उत्तरदायी नहीं मा जाना सकता और न ही यह कहा जा सकता है कि विक्रेता सह-अभियुक्तगण को प्रार्थीगण ने अनुचित रूप से उंची दर से विक्रय मूल्य का भुगतान किया। क्रय में मुख्य भूमिका जिला कलेक्टर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर की रही है।
- 2. नरेगा कार्य हेतु मेडिकल किट क्रय करने के लिए जिला कलेक्टर , अलवर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया तथा सम्बन्धित वर्ष की वितीय अवधि का समापन दिनांक 31.3.2008 को होने से जिला कलेक्टर द्वारा मौखिक रूप से निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य हेतु आवंटित राशि का उपयोग करने के लिए दवाइयां एवं अन्य सामग्री को क्रय किया जावे , जिस पर दो समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर निविदांए आमंत्रित की गयी तथा जिन व्यक्तियों/फर्मीं द्वारा न्यूनतम दर से निविदाएं प्रस्तुत की गयी, उन्हें नियमान्सार स्वीकार कर क्रय आदेश जारी किया गया। समाचार पत्रों में उक्त प्रकार से विज्ञापन जारी करने से पूर्व दवाइयों के क्रय हेत् राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्टियूटिकल्स लि. जयप्र तथा मैसर्स बी.सी. पी.एल, जयपुर को दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 14.3.2008 को पत्र जारी किया गया तथा उक्त दोनों संस्थाओं द्वारा वांछित दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए असमर्थता जाहिर की गयी, तो ही लेखा नियमों की अनुपालना करते ह्ए बाजार से दवाइयां क्रय करने के लिए समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचनाएं प्रकाशित करवायी गयी, ऐसी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि दवाइंया सीधे ही बाजार से क्रय करने की साजिश की गयी।

- 3. प्रार्थी अभियुक्त डॉ. बलवंत सिंह यधिप क्रय समिति के सदस्य थे, तथा उनकी देखरेख में ही समस्त कार्यवाही सम्पादित की गयी किन्तु डॉ.बलवंत सिंह लेखा नियमों के विशेषज्ञ नहीं है तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं थी कि राजकार्य हेतु किसी सामग्री को क्रय करने के लिए किन किन नियमों की अनुपालना की जानी होती है तथा इस हेतु वे पूर्ण रूप से क्रय समिति के विशेषज्ञ सदस्यों की राय पर ही निर्भर थे। प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य से अधिक से अधिक यह जाहिर है कि लेखा नियमों की दढ़ता से अनुपालना नहीं की गयी किन्तु इस हेतु प्रार्थी-अभियुक्त डॉ.बलवंत सिंह को किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहरया जा सकता।
- 4. पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये प्रलेखों से जाहिर है कि प्रारम्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी अभियुक्त श्री मोहन लाल बटवाडा के लिए यह पाया गया कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है, जिससे उसके विरूद्ध अभियोजन चलाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जाये किन्तु तदुपरान्त मामले के तथ्यों में किसी तरह का कोई परिवर्तन न होने के बावजूद भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरों के दबाव व प्रभाव में आकर प्रार्थी- अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गयी। विधि की सुस्थापित स्थिति है कि यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि एकत्रित की गयी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा किसी तरह का कोई अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्ट्या भी प्रकट नहीं है तो तदुपरान्त बिना अग्रिम साक्ष्य एकत्रित किये अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती किन्तु वर्तमान प्रकरण में इस विधिक आवश्यकता को अनदेखा कर अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है।
- 5. पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये प्रलेखों से यह भी जाहिर है कि प्रार्थी अभियुक्त श्री मोहन लाल बटवाड़ा ने अपने अधिकार व स्वामित्व की एक दुकान दिनांक 22.01.2008 को कुल विक्रय प्रतिफल राशि 1,30,000/- रूपये की एवज में श्री महेश चन्द गर्ग को विक्रय करने का लिखित अनुबन्ध कर दिनांक 22.1.2008 को क्रेता से नगद राशि 21 हजार रूपये प्राप्त की थी। प्रारम्भिंक जांच के

दौरान प्रार्थी अभियुक्त ने स्पष्ट तौर पर बताया था कि उक्त प्रकार से प्राप्त राशि को उसने अपने बैंक खाते में जमा कराया है किन्तु अनुसंधान अधिकारी ने बिना किसी कारण के तथा प्रार्थी द्वारा प्रकट किये गये स्पष्टीकरण पर गम्भीरता से विचार किये बिना यह निष्कर्ष दे दिया कि प्रार्थी ने भ्रष्टाचार करते हुए विक्रेता सह-अभियुक्तगण से रिश्वत के रूप में राशि प्राप्त कर अपने बैंक खाता में जमा करवायी है। यह सही है कि दिनांक 22.1.2008 को निष्पादित विक्रय अनुबन्ध पत्र को नोटेरी द्वारा अपने रजिस्टर में प्रविष्ट कर दिश्त नहीं किया गया है किन्तु इस हेतु प्रार्थी-अभियुक्त किसी तरह से उत्तरादायी नहीं है। यदि किसी नोटेरी द्वारा किसी प्रलेख को नोटेरी के रूप में अनुप्रमाणित किया जाता है, तो यह नोटेरी का कर्तव्य है कि वह इस तथ्य की प्रविष्ट अपने द्वारा संधारित रजिस्टर में करे।

- 6. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1)(d) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए अन्य के अलावा यह भी आवश्यक तत्व है कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत के रूप में कोई राशि प्राप्त की जाये किन्तु वर्तमान प्रकरण में लेश मात्र भी ऐसी कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकी है . जिससे प्रथम दृष्ट्या भी यह जाहिर हो कि प्रार्थीगण द्वारा रिश्वत के रूप में कोई राशि सह-अभियुक्तगण विक्रेता से प्राप्त की गयी।
- 7. यह स्वीकृत तथ्य है कि क्रय समिति में प्रार्थीगण के अलावा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप गुप्ता तथा तत्कालीन विरष्ठ लेखा अधिकारी जिला परिषद , अलवर श्री महेश चन्द गर्ग भी सदस्य थे तथा उनके द्वारा भी वही कार्य सम्पादित किया गया था, जो कार्य वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा किया गया था किन्तु फिर भी केवल उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आधार बनाकर उनके विरूद्ध प्रथम सूचना तक पंजीकृत नहीं की गयी। जब समान कृत्य के दो अधिकारियों को प्रथम दृष्टया भी अभियुक्त नहीं माना गया है, तो प्रार्थीगण को ही अभियुक्त मानकर प्रथम सूचना किस आधार पर पंजीबद्ध की गयी है, इस बारे में किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण ब्यूरो द्वारा प्रकट नहीं किया जा सका है।

- 8. यधिप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रस्तुत याचिका के आधार पर किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना तथा उसके आधार पर सम्पादित किये जा रहे अनुसंधान को अपवाद स्वरूप ही अपास्त किया जा सकता है किन्तु वर्तमान प्रकरण में ब्यूरों द्वारा पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना तथा उसके आधार पर किये गये अनुसंधान पर विचार किया जावे, तो प्रथम दृष्ट्या भी प्रार्थीगण द्वारा किसी तरह का कोई अपराध किया जाना जाहिर नहीं है।
- 9. जिला कलेक्टर, अलवर के निर्देश की अनुपालना में उक्त दवाइयां व अन्य सामग्री क्रय करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी निविदा आमंत्रण सूचना की पालना में प्राइवेट व्यक्तियों/फर्मी के अलावा किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा भी निविदाएं प्रस्तुत की जा सकती थी तथा उनकी दर न्यूनतम पाये जाने पर उन्हें क्रय आदेश दिया जा सकता था किन्त् यह स्वीकृत तथ्य है कि किसी भी सरकारी संस्था द्वारा निविदा प्रस्तृत नहीं की गयी, ऐसी सूरत में क्रय समिति के पास इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था कि प्राइवेट व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रस्तृत न्यूनतम दर को स्वीकार कर क्रय आदेश जारी किया जावे। प्राइवेट व्यक्ति/फर्म द्वारा दी गयी दरों को केवल इस आधार पर संदिग्ध नहीं माना जा सकता कि इनकी दर सरकारी एजेन्सियों द्वारा निर्धारित दर की अपेक्षाकृत अधिक है और न ही इस कारणवश यह कहा जा सकता है कि प्रार्थीगण ने क्रय समिति के सदस्यों के रूप में भ्रष्ट रूप से कार्य कर विक्रेता सह-अभिय्क्तगण से रिश्वत के रूप में राशि प्राप्त कर ऊंची दरों पर दवाइयां व अन्य सामग्री क्रय की। अनुसंधान के दौरान ऐसी भी कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकी है, जिससे यह जाहिर हो कि प्रार्थीगण ने विक्रेता सह-अभियुक्तगण से आपराधिक षड्यंत्र की रचना की है।

इसके विपरीत विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्कों का खण्डन कर निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये :-

- (1)प्रार्थी अभियुक्त श्री मोहन लाल बटवाडा के सम्बन्ध में जारी अभियोजन स्वीकृति आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि सक्षम प्राधिकारी ने अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य तथा समस्त प्रलेखों पर समुचित रूप से विचार कर अपना आदेश पारित किया है, जिसे केवल इस आधार पर दूषित नहीं माना जा सकता कि प्रारम्भ में प्राधिकारी की राय यह थी कि अभियोजन स्वीकृति दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन स्वीकृति विये जाने के कोई अन्तिम आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, ऐसी सूरत में प्रार्थी अभियुक्त श्री मोहन लाल बटवाडा यह कहने का अधिकारी नहीं है कि यदि एक बार अभियोजन स्वीकृति दिये जाने के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा इंकार कर दिया जाता है, तो अग्रिम साक्ष्य एकत्रित किये बिना ऐसी स्वीकृति तदुपरान्त जारी नहीं की जा सकती
- (2)यह तथ्य विवादित नहीं है कि प्रार्थी अभियुक्त श्री मोहन लाल बटवाडा क्रय समिति में शामिल लेखा विशेषज्ञ थे, ऐसी सूरत में उस पर दायित्व था कि वह क्रय समिति के अन्य सदस्यों का उन लेखा नियमों व प्रकिया की ओर ध्यान आकर्षित करते, जिनकी अनुपालना किया जाना आवश्यक था किन्तु प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा नियमों की अवहेलना कर ऊंची दर से दवाइंया एवं उपरोक्त अन्य सामग्री क्रय करने का आदेश विक्रेता सह-अभियुक्तगण को दिया गया। लेखा नियमों की अवलेहना कर ऊंची दर से क्रय करना प्रथम दृष्टया इस तथ्य का संकेत है कि प्रार्थीगण ने अपने पदीय अधिकारिता का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार करते हुए उक्त वस्तुओं को क्रय करने की कार्यवाही की, जिससे राज्य सरकार को भारी राशि की क्षति हुई। प्रकरण के इस प्रक्रम पर प्रथम दृष्टया ही देखा जाना होता है कि प्रथम सूचना पंजीबद्ध कर साक्ष्य एकत्रित किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध है अथवा नहीं । विचारण के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तृत साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तय किया जावेगा कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अपराध किया जाना प्रमाणित ह्आ है अथवा नहीं, जिस हेतु उसे दोषी ठहराया जा सके।

- (3) यधिप क्रय समिति में शामिल उक्त दो अन्य अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान नहीं किया गया है किन्तु विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा ऐसे छोड़े गये व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में तलब कर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है। अन्यथा भी अग्रिम अनुसंधान के आधार पर उक्त दोनों अधिकारियों को भी घटना में शामिल माना जाकर उनके विरूद्ध भी अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अनुसंशा जांच अधिकारी द्वारा की गयी है।
- (4) भ्रष्टाचार निरवारण अधिनियम की धारा 13 के अनुसार यदि किसी लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण किया जाता है, तो वह इस प्रावधान के अधीन दण्डनीय अपराधी होगा। यदि लोक सेवक द्वारा अपने पदीय स्थित का दुरूपयोग कर राजकोष को क्षिति पहुंचायी जाती है, तो ऐसा किया जाना भी आपराधिक दुराचरण की परिसीमा में आता है तथा ऐसी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रावधान के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाना प्रथम दृष्ट्या भी जाहिर नहीं है। उक्त अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि रिश्वत राशि प्राप्त करने की प्रत्यक्षत: साक्ष्य एकत्रित की जाये। यदि परिस्थिति साक्ष्य से भी रिश्वत के रूप में कोई राशि प्राप्त किया जाना जाहिर होता है, तो अग्रिम कार्यवाही किये जाने के लिए यह पर्याप्त आधार है।
- (5) विधि की सुस्थापित स्थित है कि किसी अपराध के लिए पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना तथा उसके आधार पर किये जा रहे अनुसंधान को अपवाद स्वरूप ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रस्तुत याचिका के आधार पर अपास्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के विरूद्ध नहीं बनता, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थीगण का ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अनुसंधान अधिकारी ने प्रार्थीगण से किसी तरह की व्यक्तिगत रंजिश होने से दुर्भावनापूर्वक प्रथम सूचना प्रंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान सम्पादित किया है।

- (6) प्रार्थी-अभियुक्त श्री बटवाड़ा लेखा व वित्त विशेषज्ञ के रूप में क्रय समिति में शामिल था, ऐसी सूरत में उसका पदीय कर्तव्य था कि वह देखता कि लेखा एवं वितीय नियमों की दृढ़ता पूर्वक पालना की जावे किन्तु प्रार्थी ने अपने कर्तव्य की पालना नहीं की तथा ऊंची दर पर दवाईयां तथा अन्य सामग्री क्रय करने में सिक्रय रूप से सहयोग किया जो उसके दुराचरण तथा भ्रष्ट आचरण का संकेत है। अनुसंधान के दौरान पाया गया है कि क्रय प्रक्रिया के दौरान लेखा व वितीय नियमों की हर स्तर पर अवहेलना की गई है। इसी तरह से प्रार्थी अभियुक्त डॉ. बलवन्त सिंह का पदीय कर्तव्य था कि नियमों की निष्ठा पूर्ण पालना कर क्रय कार्यवाही की जावे किन्तु उनके द्वारा भी जानबूझ कर घोर अपेक्षा की गई जो दुराचरण का प्रतीक है।
- (7) अनुसंधान के दौरान पाया गया है कि सम्बन्धित अवधि में प्रार्थीअभियुक्त श्री मोहन लाल के बैंक खाता में कुल रूपये 90,000/- तीन
 अलग अलग तिथियों को जमा किये। अनुसंधान से प्रार्थी का यह
 कथन असत्य पाया गया है कि उसने स्वामित्व व अधिकार की एक
 दुकान का विक्रय, अनुबन्ध के माध्यम से कर विक्रय प्रतिफल राशि
 प्राप्त की , जिसे बैंक खाता में जमा कराया गया। यह पाया गया कि
 प्रार्थी ने गलत रूप से स्टाम्प पेपर अपने नाम से जारी करवा कर
 अपने रिश्तेदार नोटेरी से मिल कर विक्रय अनुबन्ध पत्र का
 निष्पादन अपने पक्ष में करवाया।

हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री, केस डायरी व सम्बन्धित विधिक प्रावधानों तथा सुस्थापित विधिक स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

विधि की सुस्थापित स्थिति है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा उसके आधार पर अनुसंधान कार्यवाही को उसी अवस्था में अपास्त व निरस्त किया जा सकता है, जब प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अवलोकन तथा ऐसी प्रथम सूचना के आधार पर अनुसंधान के दौरान एकत्रित की साक्ष्य से प्रथम दृष्टया भी

अभियुक्त द्वारा किसी तरह का कोई अपराध घटित किया जाना न पाया जावे। हमारे मत में वर्तमान प्रकरण के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा इसके आधार पर किये गये अनुसंधान से एकत्रित की गयी साक्ष्य को यदि सही माना जावे तो भी प्रार्थीगण द्वारा किसी तरह का कोई अपराध कारित किया जाना जाहिर नहीं होता है।

हमारा निश्चित मत है कि अभियोजन पक्ष को विचारण के दौरान अपने पक्ष को प्रमाणित करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी-अभियुक्त श्री मोहन लाल बटवाड़ा द्वारा अपने बैंक खाते में सम्बन्धित अवधि में जमा करायी गयी राशि के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिये जाने का प्रयास किया गया है, उसे भी प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान ही प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित किया जा सकता है तथा अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जो निष्कर्ष दिया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर प्रार्थी-अभियुक्त श्री बटवाड़ा द्वारा प्रकट किये गये बचाव को महत्व नहीं दिया जा सकता।

जहां तक प्रार्थी-अभियुक्त श्री बटवाड़ा के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी अभियोजन स्वीकृति के दूषित होने का प्रश्न है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस आदेश को प्रार्थी-अभियुक्त ने सम्भवतः पृथक से याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में वर्तमान याचिका में किसी तरह का विस्तृत निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं होगा तथा इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त स्वीकृत रूप से अब सेवा निवृत हो चुका है। सम्भवतः प्रार्थी के अभियोजन हेतु अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता भी शेष नहीं रही है।

अत: उक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रत्येक प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त दाण्डिक विविध याचिका विधि सम्मत न होने व सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा उक्त स्थिति में संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र भी निरस्त किये जाते हैं।

(न्या0 प्रशान्त कुमार अग्रवाल)

अनिलशर्मा/S

[&]quot;all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed."अनिल शर्मा/ps